# न्यायालय जिला कलक्टर एवं प्रथम अपीलेट अधिकारी

## (सूचना अधिकार अधिनियम 2005)

पीठासीन अधिकारी मुक्तानंद अग्रवाल (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– **87/2017 अपील सू.प्र.**

**उनवान**

| | | |
|---|---|---|
| श्री सज्जन कुमार पिता कन्हैयालाल सोडानी नि0 बिगोद, जिला भीलवाडा<br>**—अपीलार्थी** | **बनाम** | सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार भीलवाड़ा<br>**—प्रत्यर्थी** |

## अपील अन्तर्गत धारा 19(1) अधिनियम 2005

उपस्थित :– अपीलार्थी अनुपस्थित
प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधी

# निर्णय

**दिनांक : 09/10/2017**

अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार भीलवाड़ा के विरूद्ध दिनांक 10.07.2017 को जरिये डाक प्राप्त होकर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने विहित अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत दिनांक 11/09/2017 को एक आवेदन मय निर्धारित शुल्क 10/–रूपये पोस्टल ऑर्डर संख्या 40एफ 677302 प्रस्तुत कर सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार भीलवाड़ा से सूचना चाही गयी थी, किन्तु निर्धारित समय सीमा व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराई। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना हेतु प्रस्तुत आवेदन दिनांक 10/07/2017 की प्रति अपील मेमो के साथ प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत अपील इस कार्यालय में दिनांक 20/09/2017 को पंजीबद्ध किया जाकर अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी् को सूचना पत्र जारी किया गया। तथा प्रत्यर्थी सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार भीलवाड़ा से तथ्यात्मक प्रतिवेदन चाहा गया। प्रत्यर्थी के प्रतिनिधि ने अपने पत्रांक/सू.अ./ 2017/161 दिनांक 06.10.2017 से तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। प्रतिवेदन के साथ सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग उपखण्ड सुवाणा द्वारा तैयार 146 अतिक्रमियों की सूची संलग्न की तथा बिन्दु संख्या 02 प्रश्नात्मक बताया एवं निवेदन किया कि अपीलार्थी को सूचना निःशुल्क उपलब्ध करा दी जाने से अपील खारिज फरमाई जावे।

प्रत्यर्थी की ओर से प्रस्तुत तथ्यात्मक प्रतिवेदन व पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

प्रत्यर्थी सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार भीलवाड़ा के द्वारा अपीलान्ट के आवेदन दिनांक 10.07.2017 से जो सूचना चाही गई वह अपीलान्ट को प्रत्यर्थी ने अपने पत्रांक 161 दिनांक 06. 10.2017 से सूचना प्रेषित की गई है वह विलम्ब से उपलब्ध कराई गई है। इस प्रकार अपीलार्थी को सूचना निःशुल्क उपलब्ध करा दी जाने से अपील सारहीन है।

अतएव उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। आदेश की प्रति अपीलार्थी व प्रत्यर्थी सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार भीलवाड़ा को सूचनार्थ भेजी जावे।

आदेश आज दिनांक 09/10/2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(मुक्तानंद अग्रवाल)
जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपीलेट अधिकारी
भीलवाड़ा